संख्या:- 1476 / VI(1) / 2011-07(06)2011

134

प्रेषक

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 15 जुलाई, 2011

विषय.- केन्द्र पोषित योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-113 / 2-6-364(के0वि0पो0यो0-यू0सी0) / 2011-12, दिनांक 25 जून, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित ₹ 502.82 लाख की 6 केन्द्र पोषित योजनाओं के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त लगभग 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा में समस्त अवशेष ₹ 112.67 लाख (रूपये एक करोड़ बारह लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि उक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु व्यय करने के लिए श्री राज्यपाल आपके निवर्तन में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 स0	योजना का नाम	आगणन की मूल लागत	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त	भारत सरकार से अवशेष प्राप्त होने वाली धनराशि	कुल व्यय
1	2	5	6	7	8
1	केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन ग्राम कामी, इन्द्रौली एवं पत्यूड़ (जौनसार भावर क्षेत्र) का पर्यटन विकास (हार्डवेयर प्रोजेक्ट)	47.10	37.68	9.42	37.68
2	ग्रामीण पर्यटन के अन्तर्गत हब ग्राम अगोड़ा (डाडीताल) का पर्यटन विकास (हार्डवेयर प्रोजेक्ट)	48.50	38.80	9.70	37.96
3	पर्यटन ग्राम माणा (जिला चमोली) का विकास (हार्डवेयर प्रोजेक्ट)	50.00	40.00	10.00	40.00
4	पर्यटन ग्राम सारी (देवरियाताल, जिला रूद्रप्रयाग) का विकास (हार्डवेयर प्रोजेक्ट)	45.14		9.14	36.00
5	नैनीताल-अल्मोड़ा-रानीखेत टूरिस्ट सर्किट का विकास				
	(क) अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद रानीखेत, अल्मोड़ा	120.54	96.43	24.11	114.80
	(ख) प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर, नैनीताल	30.00	12.00	18.00	12.00
6	कार्बेट नेशनल पार्क का पर्यटन सर्किट के रूप में विकास	161.54	129.24	32.30	118.66
	योग-	502.82	390.15	112.67	397.10

2- उक्त धनराशि का उपयोग उक्त योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय, भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) तत्काल भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भारत

सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन के इस विभाग को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होते ही उक्त ₹ 100.00 लाख की धनराशि को राज्य सरकार के राजकोष में जमा कराकर शासन को अवगत कराते हुए रसीद की प्रति शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5– कार्य प्रारम्भ के समय सम्बंधित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड के सौजन्य से (केन्द्र पोषित योजना के नाम सहित) किया जा रहा है, योजना प्रारम्भ करने का समय, इसकी लागत, पूर्ण करने का समय तथा कार्यदायी संस्था का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय–समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।

6– कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

7– स्वीकृत की गयी धनराशि का किसी भी दशा में किसी अन्य मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

9– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–285/XXVII(2)/2011, दिनांक 11 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 1426/VI(1)/2011–07(06)2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– सम्बन्धित जिला/क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी।
6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– निजी सचिव–मा0 पर्यटन मंत्री, मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।